

मंडल सं०

16

आ० ई० वर्ग

घर

खाद्य श्रेणी

गेहूँ

ऊर्जा श्रेणी

मिट्टी का तेल

कार्ड सं०

APL16180070

मुखिया का नाम

राम प्रकाश बावेजा

पिता/पति का नाम

स्व० श्री देवी दितामल बावेजा

पता

ए-5 बी, 135, एस० एफ० एस०

पश्चिम विहार

नई दिल्ली-110063

ईकाइयों : अनाज

10

चीनी

6

मिट्टी का तेल

6

उद्वुस्त

1618

उद्वु का नाम व पता

मै० विजय फेयर पराइस शाप.

ए 5/114ए पश्चिम विहार

नई दिल्ली

मिट्टी के तेल के डिपो का ला० न०

3534/93

मिट्टी के तेल के डिपो का नाम व पता

मै० राजस्थान के.ओ.डी

15/04/2005

ए-5/159,ए,पश्चिम विहार, नई दिल्ली

जारी करने की तिथि

नरेन्द्र सिंह

खाद्य संभरण अधिकारी का नाम एवं हा०



R. S. Singh

Signature of Narender Singh

आवश्यक सूचना

1. यह कार्ड प्रमाण प्रमाण के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए वैध नहीं है।
2. उपरोक्त कार्ड की किसी प्रविष्टि में अनधिकृत परिवर्तन न करें।
3. अपना उपरोक्त कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को प्रयोग हेतु न दें न ही इसे बदरुकानदार या मिट्टी के तेल के दुकानदार को सौंपें।
4. कार्ड खो जाने पर या फट जाने पर दुप्लीकेट कार्ड निर्धारित शुल्क के भुगतान पर मंडल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
5. कार्ड में दर्ज किसी सदस्य की मृत्यु होने या एक मास से अधिक समय दिल्ली से बाहर रहने पर कार्ड से नाम कटवा दें तथा ऐसे व्यक्ति के हिस्से के निर्धारित पदार्थ उद्, दुकान से न लें।
6. यदि आप अपना निवास बदलते हैं तो इस संबंध में तुरंत अपने मंडल न्याय, को सूचित करें जोकि यदि आपका नया निवास उसी मंडल क्षेत्र में है तो इस संदर्भ में आपके कार्ड में आवश्यक प्रविष्टि कर देगा अन्यथा आपका कार्ड जमा कर के समर्थन प्रमाण-पत्र दे देगा तबकि अन्य संबंधित मंडल कार्यालय से नए पते पर कार्ड बनवा सकते हैं।
7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लघुवात सावित्र, तथा अन्योन्य अन्न योजना के अंतर्गत जारी किए जाने वाले पदार्थ उनकी मात्रा तथा मूल्य अलग अलग हो सकते हैं जोकि समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाते हैं। इनकी सूचना वित्ता दर दुकानों पर भी दर्शित की जाती है। यह सूचना दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
8. कार्ड में शामिल सभी सदस्य जो 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, अन्न के 2 युनिट तथा चीनी की 1 युनिट के अधिकारी होने तथा 12 वर्ष से कम आयु के सदस्य अन्न की 1 युनिट तथा चीनी की 1 युनिट के अधिकारी होंगे।
9. ऐसे किसी भी मापदण्ड, नियमों आदि पर उपरोक्त कार्ड जारी किया गया था, जैसे सदस्यों में नृदि या कमी, सदस्यों की आयु में परिवर्तन के कारण इकाई में परिवर्तन, कार्ड में दर्ज किसी सदस्य के नाम पर एरोर गैस कैंपेस का प्रोडि आदि में हुए किसी भी परिवर्तन को मंडल कार्यालय से सुधार करवा सकते हैं।
10. सभी प्रमाण-पत्र मंडल कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर कार्ड गैर वैधतागत में पुनः एकाधिकार दिक्कतों में निरंतर रहने के कारण कार्ड खंड में फंका भी हो कार्ड प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार वास्तविक किए गए कार्य भी प्रमाण में लाने जा सकते हैं तथा इसके लिए मंडल कार्यालय से किसी शुल्क के भुगतान की आवश्यकता नहीं है।
11. कोई भी निवास एवं प्रमाण प्रमाण मंडल कार्यालय से या बाहर हुए आयु, आयु, के व्यक्ति, विकास भवन, इ.स. एरोर, यह दिल्ली स्थित निर्माण कर्म में कोन न 2007000 पर क flood@nic.in के पते पर ईमेल द्वारा की जा सकती है।



डी फार्म सं०

503269

## परिवार के सदस्यों का विवरण

कार्ड सं० APL16180070

क्रम सं०	नाम	जन्म वर्ष	पिता/पति का नाम	मुखिया से संबंध
1	राम प्रकाश बावेजा	1932	स्व० श्री देवी दितामल बावेजा	स्वयं
2	सुशीला	1934	राम प्रकाश बावेजा	पत्नी
3	प्रदीप कुमार	1965	राम प्रकाश बावेजा	पुत्र
4	संगीता	1967	प्रदीप बावेजा	पुत्रवधु
5	तनय बावेजा	1993	प्रदीप बावेजा	पौत्र
6	वैभव बावेजा	1996	प्रदीप बावेजा	पौत्र

544388

04016033-139

ह० खाद्य संभरण अधिकारी